#### Central Goods & Services Tax Act, 2017

## CHAPTER - XVI

### LIABILITY TO PAY IN CERTAIN CASES

### Section 85: Liability in case of transfer of business

- (1) Where a taxable person, liable to pay tax under this Act, transfers his business in whole or in part, by sale, gift, lease, leave and license, hire or in any other manner whatsoever, the taxable person and the person to whom the business is so transferred shall, jointly and severally, be liable wholly or to the extent of such transfer, to pay the tax, interest or any penalty due from the taxable person upto the time of such transfer, whether such tax, interest or penalty has been determined before such transfer, but has remained unpaid or is determined thereafter.
- (2) Where the transferee of a business referred to in sub-section (1) carries on such business either in his own name or in some other name, he shall be liable to pay tax on the supply of goods or services or both effected by him with effect from the date of such transfer and shall, if he is a registered person under this Act, apply within the prescribed time for amendment of his certificate of registration.

# अध्याय 16 कतिपय मामलों में संदाय करने का दायित्व

## धारा 85 : कारबार के अंतरण की दशा में दायित्व

- (1) जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है, अपने कारबार का पूर्णतया या भागतः, विक्रय, उपहार, पट्टा, इजाजत और अनुज्ञप्ति, भाटक या किसी अन्य रीति में चाहे जो भी हो, अंतरण करता है वहां कराधेय व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसको इस कारबार का अंतरण किया गया है, संयुक्त रूप से और पृथकतः, पूर्णतया या ऐसे अंतरण के परिमाण तक, कराधेय व्यक्ति से ऐसे अंतरण के समय तक शोध्य कर, ब्याज या किसी अन्य शास्ति, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण ऐसे अंतरण से पूर्व किया गया है, किन्तु जो असंदत्त रहती है या जिसका तत्पश्चात् अवधारण किया गया है, के संदाय के लिए दायी होगा।
- (2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अंतरिती ऐसे कारबार को स्वयं के नाम से या किसी अन्य के नाम से चलाता है, वहां वह ऐसे अंतरण की तारीख से उसके द्वारा पूर्ति किए जाने वाले मालों या सेवाओं या दोनों के लिए कर का संदाय करने के लिए दायी होगा और यदि वह इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति है तो वह विहित समय के भीतर अपने रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन के लिए आवेदन करेगा।